

हाईकोर्ट ने डीएसपी सहित चार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश रद्द किया

हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई लोक सेवकों पर सीधे एफआईआर का आदेश गलत, पहले प्रारंभिक जांच जरूरी

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक सेवकों को दुर्घटनापूर्ण और बदले की भावना से दर्ज कराए जाने वाले मुकदमों से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक अहम कानूनी व्यवस्था दी है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने श्रीगंगानगर की विशेष अदालत के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें डीएसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि नए कानून बीएनएसएस की धारा 223 अब हर सरकारी अधिकारी के

- हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर की विशेष अदालत के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें डीएसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे**

खिलाफ कार्रवाई से पहले दो जरूरी शर्तें लागू करती हैं, जिसमें अधिकारी को अपना पक्ष रखने का असली मौका देना और उसके विरुद्ध अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना शामिल है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले की जड़ दो पक्षों के बीच चल रही कानूनी खींचतान से शुरू हुई। अनूपगढ़ थाने में अगस्त 2025 में एक पक्ष ने टेकचंद के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत

गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच की और अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल कर दी। टेकचंद ने जवाब में सितंबर में क्रॉस केस दर्ज कराया। पुलिस की जांच से नाराज होकर उसने डीजीपी विजिलेंस को शिकायत दी। जब वहां से भी मनमाफिक कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने बिना अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किए एक नवंबर 2025 को विशेष अदालत

में उन्हीं चार पुलिसवालों डीएसपी प्रशांत कौशिक, एसआई सरदार सिंह, एसआई मनोहर सिंह और चालक किशन सिंह के खिलाफ परिव्वाद दाखर कर दिया। इसमें 21 नवंबर को विशेष न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक को इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया।

हाईकोर्ट ने इस निचली अदालत के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे एक यांचिक आदेश करार दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि विशेष न्यायाधीश ने आदेश पारित करते समय नए कानून की धारा 175(4) की जरूरी आवश्यकताओं का पूरी तरह उल्लंघन

किया। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने न तो क्रॉस मुकदमों की पृष्ठभूमि देखी और न ही शिकायतकर्ता की प्रतिशोधात्मक मंशा पर विचार किया। जस्टिस फरजंद अली ने अपने रिपोर्टबल फैसले में नए कानून की धारा 223 की विस्तृत व्याख्या की। कोर्ट ने इसे एक सुरक्षात्मक छलनी बताते हुए कहा कि यह कानून सुनिश्चित करता है कि लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों के कारण झूठे मुकदमों में न घसीटा जाए। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट सीधे एफआईआर का आदेश नहीं दे सकते। उन्हें पहले एक प्रारंभिक जांच करनी होगी।

अजमेर में दिनदहाड़े ज्वैलरी शॉप से लाखों के सोने-चांदी के जेवर चोरी

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कायड़ रोड स्थित एक ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। स्कूटी पर आए एक बदमाश ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर रखी तिजोरी से लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गया।

पौडित पवन कुमार सोनी निवासी शुभम कॉलोनी कायड़ रोड ने बताया कि वह मूल रूप से डीडवाना-कुचामन जिले के रहने वाले हैं और वर्तमान में अजमेर में रह रहे हैं। उन्होंने करीब दो महीने पहले

- स्कूटी सवार बदमाश ने शटर तोड़कर वारदात की**

ही श्री बालाजी ज्वैलर्स के नाम से अपनी दुकान शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को दोपहर करीब एक बजे वह खाना खाने के लिए घर चले गए थे और दुकान को ताला लगाकर गए थे। करीब डेढ़ घंटे बाद जब वह वापस लौटे तो दुकान का एक तरफ का शटर उठा हुआ मिला। दुकान के अंदर जाकर देखा तो तिजोरी का लॉक टूटा हुआ था और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरत गायब थे। बदमाश

करीब 10 तोला सोना और 700 ग्राम चांदी चोरी कर ले गया, जिसकी कुल कीमत लगभग पांच लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित के अनुसार आरोपी अपनी कमर पर एक छोटा बैग बांधकर आया था, जिसमें वह चोरी किए गए जेवरत डालकर फरार हो गया। पूरी वारदात सुनिर्ोजित तरीके से अंजाम दी गई प्रतीत हो रही है। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

ट्रक ने कार को मारी टक्कर, सात लोग घायल

अजमेर, (कासं)। जिले के गेगल थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां टोल नाके पर खड़ी कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार पांच लोग और टोल नाके पर मौजूद दो कर्मचारी घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार कार चालक टोल टैक्स चुकाने के लिए वाहन को नाके पर धीमा कर रहा था और रुकने ही वाला था कि उसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर कार से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त

हो गई। टक्कर के बाद ट्रक भी आगे बढ़ते हुए टोल केबिन से जा भिड़ा, जिससे वहां खड़े दो टोलकर्मी भी चपेट में आकर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को तुरंत किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पांच गंभीर घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं टोलकर्मियों को भी सीधे जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना के चलते टोल नाके पर लंबा जाम लग गया।

डूंगरपुर में नशे में ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ इंस्पेक्टर के सामने हंगामा किया

डूंगरपुर, (निस्)।बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे 48 पर एक ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ इंस्पेक्टर के सामने हंगामा कर दिया। शराब के नशे में टैकर को हाइवे पर खड़ा कर तलवार लहराने लगा। मौके पर पहुंची बिछीवाड़ा थाना पुलिस पर भी पथराव किया। इससे आरटीओ इंस्पेक्टर की टांग के कांच फूट गए। मौके से आरटीओ टीम और ट्रक को भगाना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस पहुंचे तो टैकर लेकर

- टैकर ड्राइवर ने तलवार लहराई, पुलिस पर पथराव किया, मामला दर्ज**

रवाना हो गया था। जिसे पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर से पहले पकड़ लिया। आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्रसिंह ने बताया कि बुधवार को वे नेशनल हाइवे 48 पर गाड़ियों की जांच कर रहे थे।

इस दौरान उदयपुर की ओर से एक टैकर आया। शराब के नशे में ड्राइवर ने टैकर को बीच सड़क पर ही खड़ा कर हंगामा करने लगा। वह तलवार लेकर नीचे उतरा। इससे हाइवे पर जाम लग गया। हांगामा देखते हुए बिछीवाड़ा थाने से पुलिस को मौके पर बुलाया गया,लेकिन इस दौरान ड्राइवर के साथ अन्य लोग भी पुलिस और आरटीओ इंस्पेक्टर की गाड़ी के पीछे भागते हुए पथर मारने लगे। इससे आरटीओ इंस्पेक्टर की गाड़ी

के कांच भी फूट गए। बाद में बिछीवाड़ा थाने से अतिरिक्त पुलिस टीम के साथ वापस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक टैकर लेकर ड्राइवर चला गया था। जिसे पुलिस और आरटीओ टीम ने पीछा करते हुए रतनपुर बॉर्डर से पहले पकड़ लिया। इसके बाद बिछीवाड़ा थाने लेकर आए। आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की ओर से बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

ठेकेदार द्वारा बिना सुरक्षा के जर्जर पानी की टंकी गिराने से लोगों में आक्रोश

अलवर, (निस्)। जिले के गोविंदगढ़ में जलदाय विभाग की अनदेखी और एक लापरवाह ठेकेदार के कारण हादसा होते-होते टल गया। मामला एक पुरानी और जर्जर पानी की टंकी को गिराने से जुड़ा है। इस कार्य के लिए विभाग ने ढाई लाख रुपए का टेंडर जारी किया था, लेकिन ठेकेदार ने अपना इंतजामों के बजाय शॉर्टकट अपनाकर टंकी के पिलरों को नीचे से तोड़ना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जलदाय विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ने पहले ही इस काम को लेकर ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए थे कि बिना उचित सुरक्षा के काम शुरू

- जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पहले ही इस काम को लेकर ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए थे कि बिना उचित सुरक्षा के काम शुरू न किया जाए**

- बावजूद इसके ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर रातों-रात टंकी के पिलरों को नीचे से तोड़ना शुरू कर दिया**

न किया जाए। बावजूद इसके ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर रातों-रात टंकी के पिलरों को नीचे से तोड़ना शुरू कर दिया।

ठेकेदार की मंशा शायद इसे असुरक्षित तरीके से ढहाने की थी, ताकि खर्चा बचाया जा सके। जैसे ही महल्ले

के लोगों को पानी की टंकी के पिलर तोड़ने की भनक लगी और पता चला कि बिना किसी सुरक्षा धरे के इतनी विशाल टंकी को गिराया जा रहा है, वहां हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी के बिल्कुल

पास रिहायशी मकान बने हुए हैं। यदि टंकी किसी घर पर गिरती, तो कई परिवारों का नामोनिशान मिट सकता था। बढ़ते विरोध को देख स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाया। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जैकी शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया कि जब विभाग ने नोटिस जारी कर काम पर रोक लगा रखी थी, तो आखिर किसके आदेश पर पिलर तोड़े गए? फिलहाल पुलिस और विभाग ने काम रोक दिया है, लेकिन ग्रामीणों में अब भी दहशत का माहौल है।

सात वी.डी.ओ. को चार्जशीट, चार को नोटिस

जोधपुर, (कासं)। जिले के बावड़ी पंचायत समिति में स्वच्छता अभियान की असंतोषजनक स्थिति पर कार्यवाही की गई है। विकास अधिकारी संपत गोदार के निर्देश पर हुए औचक निरीक्षण में साफ-सफाई में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इस पर सात ग्राम विकास अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई है और चार अन्य को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। निरीक्षण में कई अहम स्थानों पर साफ-सफाई की कमी और संवेदकों को भुगतान नहीं होने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इन अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत गंगानी, बावड़ी, नेतड़ा, लवेरा कला, मेराना, सोयला और भवाड़ के ग्राम विकास अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज नियम 300 में संपठित राजस्थान सिविल सेवा नियम 158 के नियम 17 के तहत की गई है। विकास अधिकारी संपत गोदार ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई सुनिश्चित करें।

सूने मकान से 35 तोला सोना व 20 लाख की नगदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरी बुधवार रात आठ बजे हुई जब कॉलोनी में भी लोगों का मुवमेंट रहता है। इसके बावजूद चोर वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे।

जानकारी के अनुसार उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र के सिलावट वाडी स्थित बीच की मस्जिद के सामने घर में यह वारदात हुई। घटना के बाद पीड़ित इरशाद खान पिता शहीद खान ने घंटाघर

- वारदात के समय सामाजिक कार्यक्रम में बाहर गया हुआ था परिवार**

थाना पुलिस को सूचना दी। पीड़ित के घर के तीसरी मंजिल पर अलमारी में रख करीब 35 तोला सोना और लगभग 20 लाख रुपए चोर ले गए। पूरा परिवार किसी परिचित के सामाजिक कार्यक्रम में गया था। देर रात जब परिवार के लोग

घर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा देख हैरान रह गए। परिवार ने देखा कि कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित इरशाद ने पुलिस को बताया कि उनके चारों भाइयों के हक का सोना था। मेहनत से कमाए 20 लाख रुपए जमा पूंजी थी, जिसे चोर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आसपास सीसीटीवी खंगलते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है।

हनुमानगढ़ में महिला से जेवर लूटने वाले बदमाश पकड़े

हनुमानगढ़, (निस्)। जिले में संगरिया थाना पुलिस ने दिनदहाड़े महिला के कार्ना से सोने की बालियां झपटने के मामले का खुलासा करते हुए दो अंतरराज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह घटना संगरिया बस स्टैंड पर 27 मार्च को हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 38 वर्षीय सुरेंद्र सिंह और 30 वर्षीय हरगोविंद सिंह उर्फ गविंदी के रूप में हुई है। ये दोनों पंजाब के मुक्तसर जिले के तप्पाखेड़ा, लंबी के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी पहले भी कई ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।

यह मामला 1 अप्रैल को भाखरांवली निवासी सुरेंद्र द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद सामने आया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 27

- दोनों आरोपी पंजाब के मुक्तसर जिले के तप्पाखेड़ा, लंबी के निवासी हैं, पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं**

मार्च को उसकी मां और एक रिश्तेदार संगरिया बस स्टैंड पर खड़े थे। तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और उसकी मां के कार्ना से सोने की बालियां झपटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी अमर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों की

पहचान की। जांच के दौरान एक आरोपी सुरेंद्र सिंह को सिरसा से प्रोडक्शन वॉरंट पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दूसरे आरोपी हरगोविंद सिंह उर्फ गविंदी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों से वारदात के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये आरोपी राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में भी झपटमारी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को इनसे अन्य वारदातों के खुलासे और चोरी का सामान बरामद होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है और उनसे जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

भीलवाड़ा : रहड़ पंचायत का फैसला, स्कूल को मिली सात बीघा जमीन की सौगात

भीलवाड़ा, (निस्)। शाहपुरा तहसील के रहड़ ग्राम पंचायत में एक ऐसा निर्णय लिया गया है, जिसने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगा दी है। पंचायत प्रशासक सलीम खां कायमखानी ने नवाचार करते हुए ग्राम पंचायत की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सात बीघा भूमि दान कर दी। यह जमीन स्कूल भवन निर्माण और खेल मैदान के लिए दी गई है। क्षेत्र में इस तरह का यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। लंबे समय से भूमि अभाव और जर्जर भवन में पढ़ाई कर रही छात्राओं के लिए यह निर्णय राहत लेकर आया है। अब नए भवन और खेल मैदान के निर्माण से छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। पंचायत ने यह प्रक्रिया विधिवत तरीके से पूरी की। पहले

- पंचायत प्रशासक सलीम खां कायमखानी का नवाचार बना जिले में मिसाल**

पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव लिया गया, फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जमीन स्कूल के नाम कर दी गई। इस पहल को लेकर गांव में खुशी का माहौल है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के फैसले गांव की दिशा बदल सकते हैं। खासकर बेटियों की शिक्षा को लेकर यह कदम भविष्य में बड़ा बदलाव लाएगा। इस उपलब्धि पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं ने दीप

प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से की। इसके बाद प्रशासक सलीम खां कायमखानी और ग्राम विकास अधिकारी दीपक धाकड़ ने स्कूल प्रशासन को भूमि की रजिस्ट्री सौंप दी। समारोह में सलीम खां ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति जीवन के दो अहम आधार हैं और बेटियों को इससे वंचित नहीं रहना जा सकता। उन्होंने कहा कि पंचायत का उद्देश्य है कि हर बालिका को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलें, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। विद्यालय की प्राचार्य ममता राजवात ने पंचायत का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। उन्होंने कहा कि एक बालिका को शिक्षित करने से पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है, इसलिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है।

सेवानिवृत्त सीडीईओ योगेश पारीक ने कहा कि शिक्षित बालिका ही मजबूत समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। उन्होंने पंचायत के इस निर्णय को सराहनीय बताते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। समारोह में सेवानिवृत्त एडीईओ नवनीत जोशी, पीईईओ हेमराज खटीक, ग्राम विकास अधिकारी दीपक धाकड़, पटवारी गोविंद सिंह, ईश्वर गुर्जर, रामस्वरूप रेगर, रामदेव बैरवा, गोविंद गुर्जर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। रहड़ पंचायत का यह कदम अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर मान रहे हैं। साफ है कि सलीम खां कायमखानी का यह नवाचार न केवल बेटियों के सपनों को पंख देगा, बल्कि गांव के विकास की नई इबारत भी लिखेगा।

भीलवाड़ा, (निस्)। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने गुरवार को संगम स्कूल ऑफ एम्सोलेंस विद्यालय में विद्यार्थियों को सायबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने सायबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रांड तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सोशल मीडिया का सचे-समझकर उपयोग करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने तथा किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से दूर रहने की सलाह दी।

- शिकायत पेटी में विद्यार्थी अब बिना डर के अपनी समस्याएं, शिकायतें और सवाल लिखकर डाल सकते हैं**

- इस योजना की खास बात यह है कि शिकायत करने वाले विद्यार्थियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी**

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने सवाल पूछे, जिनका न्यायाधीश ने सरल भाषा में समाधान किया। अभय जैन ने इस अवसर पर विद्यालय में “कोर्ट वाली दीदी” शिकायत पेटी लगाकर शुरुआत की। इस पहल के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में विशेष शिकायत

पेटी लगाई जाएगी, जिसमें छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं, शिकायतें और सवाल लिखकर डाल सकते हैं। विशाल भार्गव सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भीलवाड़ा ने बताया की विद्यार्थियों को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई पहल “कोर्ट वाली

दीदी” शिकायत पेटी की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत विभिन्न स्कूलों में विशेष शिकायत पेटी लगाई जा रही है, जिसमें छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं, शिकायतें और सवाल लिखकर डाल सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि शिकायत करने वाले विद्यार्थियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इससे बच्चों को बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम इन शिकायतों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस पहल से न केवल बच्चों की समस्याएं को सुनने का एक प्रभावी माध्यम मिलेगा, बल्कि उनके समाधान की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

बीकानेर में महिला की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर, (निस्)। पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी विजयपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम था। थाना प्रभारी विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि 18 अप्रैल 2025 को परिव्वादी विक्रम तिवाड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अप्रैल 2025 की रात 7-8

- मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है**

जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी। इसके बाद आरोपी विजयपाल जाट निवासी

गाढ़वाला को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी से घटना के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है। यह कार्रवाई बीकानेर आईजी, बीकानेर एसपी के निर्देश में की गई। इसमें एएसपी (शहर) और सहायक पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को दबोचा।

जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को चलेगी

जोधपुर, (कासं)। गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 19 अप्रैल को एक ट्रिप के लिए संचालित की जाएगी।

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल 19 अप्रैल को सुबह 9.30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर एक बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वहीं वापसी में 04868 रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल उसी दिन दोपहर दो बजे रामदेवरा से प्रस्थान कर शाम 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। ट्रेन में कुल दस कोच होंगे, जिनमें आठ सामान्य श्रेणी के अनारक्षित डिब्बे और दो एसएलआर कोच शामिल रहेंगे। ट्रेन रास्ते में राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिंबरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फेलोदी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे यात्रियों को रामदेवरा आवागमन में विशेष सुविधा मिलेगी।

शराब पार्टी के दौरान हवाई फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार

- बिना लाइसेंस दोस्त की बंदूक से हवाई फायर, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज**

बीकानेर, (निस्)। शहर के मुक्ताप्रसाद नगर थाना क्षेत्र में बीती रात हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जिससे अमरनाथ कॉलोनी क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। शराब पार्टी के दौरान एक युवक ने खुशी में बंदूक से चार राउंड हवाई फायर कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हवाई फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलोनी के निवासियों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर टीम बीकाजी फेक्ट्री के पीछे मौके पर पहुंची। वहां एक युवक हाथ में बंदूक और हॉकी स्टिक लिए दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। मौके की जांच के दौरान जमीन से कारतूस के चार खाली खोल भी बरामद किए गए। गिरफ्तार युवक की पहचान अशोक कुमार (36) निवासी हम्मरीवास, जिला चूरू के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से 12